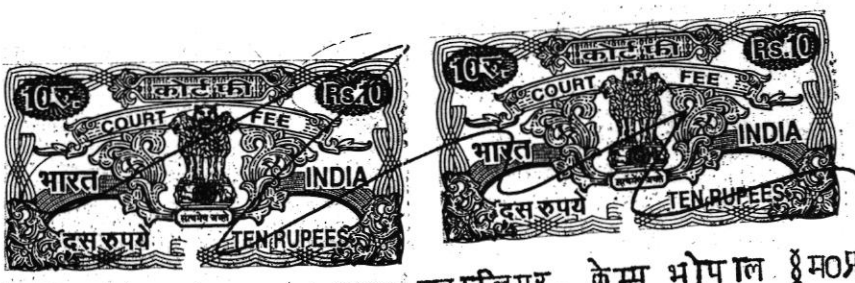

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल (म०प्र०).

प्रकरण क्रमांक : निगरानी 2750-दो/15
/2015 निगरानी

लीलाबाई पत्नि श्री कोमलचन्द अहिरवार
कृषक ग्राम मलियाखेड़ा तहसील कुरवाई जिला
विदिशा हाल निवासी इटावा मोहल्ला
प्रताप वार्ड बीना जिला सागर (म०प्र०).
--- निगरानीकर्ता

- ब ना म -

(1) रंजीतसिंह पुत्र श्री तुलाराम लोधी
निवासी ग्राम करमोदिया तहसील कुरवाई
जिला विदिशा (म०प्र०) --- प्रतिप्रार्थी/आवेदक

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
विदिशा (म०प्र०) --- प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16-06-2015 राजस्व निरीक्षक कुरवाई जिला विदिशा रंजीतसिंह -बनाम- म.प्र.शासन.

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, निगरानीकर्ता की स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भू
सर्वे क्रमांक 26 रकबा 1.045 हेक्टेयर ग्राम मलियाखेड़ा तहसील कुरवाई जि
विदिशा (म०प्र०) में स्थित है, जिस पर वह काबिज होकर फसल प्राप्त क
है। तथा वर्तमान में इटावा मोहल्ला प्रताप वार्ड बीना जिला सागर (
में निवास करती है। प्रतिप्रार्थी/आवेदक, निगरानीकर्ता का भेढ़ियाकास
है।

2- यह कि, प्रतिप्रार्थी/आवेदक ने एक आवेदन-पत्र राजस्व निर
कुरवाई के समक्ष प्रस्तुत कर सर्वे क्रमांक 60 रकबा 1.087 हेक्टेयर कृषि भू
... किया जिस पर से तहसीलदार महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–2740–एक/15 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/3/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, कुरवाई जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 33/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16–6–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 60 रकबा 1.087 स्थित ग्राम करमोदिया के सीमांकन किए जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पटवारी ने सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आलोच्य आदेश द्वारा सीमांकन प्रमाणित किया है। इस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13–2–18 को 10 दिवस का समय लिखित बहस हेतु दिया गया था परंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4/ अनावेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई जिसमें मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को विधिवत सूचना दी गई थी सीमांकन कार्यवाही विधिवत की गई है। पड़ोसी काश्तकार सीमांकन के समय उपस्थित थे परंतु उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। अनावेदक प्रश्नाधीन खसरों का पुश्तैनी काश्तकार है । आवेदिका को अगर इस बात की शंका है कि उसकी जमीन कहां पर स्थित है तो वह अपने खसरा नंबर की भूमि की नपती कराने हेतु स्वतंत्र है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निवेदन किया गया है । 5– आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों यएवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है। प्रकरण में जो पंचनामा है उससे यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के उपरांत हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । ऐसी स्थिति में यह भार उन पर था कि वे यह सिद्ध करते कि जो कार्यवाही हुई है वह विधिसम्मत नहीं है किंतु ऐसा न कर केवल यह कहना कि कार्यवाही विधिवत नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है एवं पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों। प्रशासकीय सदस्य	